

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2023/101416/KPN/KANPUR NAGAR/2714/CFO****दिनांक : 01-12-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **OXFORD MODEL SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **MAHARAJPUR, ALLAHABAD TO KANPUR HIGHWAY, KANPUR NAGAR** तहसील - **NARWAL** प्लॉट एरिया **6184.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1684.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	0	7.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **OXFORD MODEL SENIOR SECONDARY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **05-12-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ALOK KUMAR SHARMA** E-Mail ID : **nathpramendra@gmail.com** Mobile No. : **9807129637** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-12-2023** से **05-12-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **OXFORD MODEL SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **OXFORD MODEL SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : The School is Operational Since long, Hence, The NOC is issued as per G.O. dated 07.01.2022 on (G+1) FLOOR ONLY on Recommendations of FSSO K-7: 1.To Comply as per UP Fire & Emergency Services Act 2022. 2.To Maintain All Fire System in Operational mode Always with DG Supply. 3.To Maintain all Stairs and Keep free Access to All Exits Always and Electrical Safety Audit is Mandatory for entire Premises. 4.To Submit Operational Certificate of Fire System on Half Yearly Basis.. 5.The Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions and for any False Information or FSSO Inspection Report.



निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-12-2023
स्थान : KANPUR NAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

B71BCBD890E841A82E9C61C61AA329ECEC704410

06-12-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.